"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 जून 2018 — ज्येष्ठ 12, शक 1940

राज भवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2017/रास/यू-15. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

1.	प्रो. डॉ. एस. के. गाखर, संस्थापक कुलपति चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी (हरियाणा)	-	प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद
2.	प्रो. डॉ. बी. के. पुनिया, कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)	-	प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद
3.	डॉ. पी. सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़	-	उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति

2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. एस. के. गाखर को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने से आठ सप्ताह की समयावधि में पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.